

अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

नहीं ,

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रस्तावित भूमि न्यूनतम रूप अपरिहार्य है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

9. क्या वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) नहीं

10. यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। नहीं

11. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, आस-पास के वन से इनकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। संलग्न है।

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि। संलग्न है।

(vi) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। संलग्न है।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। संलग्न है।

12. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।

13. विभाग/जिला प्रोफाइल

(i) जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल 99279.707 है० अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

(ii) जिले का वन क्षेत्रफल 89379.711 है० अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

(iii) मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र। 54 मामले, 61.48 है०

(vi) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।